उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 76वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 26.07.2022

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.07.2022 को सम्पन्न हुई 76वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :—

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सदस्य/सचिव
3. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) —सदस्य
4. श्री पार्थ प्रतीक मल्लिक, लेखा अधिकारी, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) —सदस्य
5. श्री प्रभु नाथ, विशेष सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग) —सदस्य
6. श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, अनु सचिव, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) —सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) —सदस्य

विशेष आमंत्रीः—

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री आर0आर0 सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री राकेश मिश्रा, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा।
5. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा।
6. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
7. श्री अरूण कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीडा।
8. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
9. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
10. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी (भू—अर्जन), यूपीडा।
11. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू—अर्जन), यूपीडा।
12. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
13. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
14. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
15. श्री के0के0 अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद/नियोजक), यूपीडा।
16. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
17. श्री के0के0 पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
18. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
19. श्रीमती रिचा मिश्रा, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 76वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः—

एजेण्डा बिन्दु—01:— उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.06.2022 को सम्पन्न हुई 75वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गयाः—

कार्यवाही / निर्णयः— निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 75वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु—02:— **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.06.2022 को सम्पन्न 75वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गयाः—**

कार्यवाही / निर्णयः— निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.06.2022 को सम्पन्न हुई 75वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु—03:— **"बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे" पर वर्ष 2022—23 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग—3 की अधिसूचना संख्या— 2747 / 77—3—2017—37 एनएम—12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" जारी की गई थी, जिसके प्राविधानों के अनुसार "आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे" तथा 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे' पर टोल की वसूली की जा रही है। उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या—02 / 2018 / 235 / 77—3—2018—37 एनएम—12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर—4 द्वारा वर्ष 2017—18 की टोल दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अर्न्तगत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। तदोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या—1596 / 77—3—18—37एम—12टी0सी0 दिनांक 14.05.2018 द्वारा वर्ष 2018—19 के लिये आगणित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। तत्क्रम में टोल नियमावली के प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) को लागू किया जाता रहा है।

निदेशक मण्डल को अग्रेतर अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुरूप **वर्ष 2022—23 हेतु 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर टोल दरों** का आंकलन परियोजना

परामर्शी इण्डियन टेक्नोक्रेट लिमिटेड से कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	2.45
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.90
3	बस या ट्रक	7.85
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	12.05
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	15.35

निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर, 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:–

फीस की आधार दर रू0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा)						
क्रम सं0	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू0 में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	बस या ट्रक	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)
		वर्ष 2022–23	वर्ष 2022–23	वर्ष 2022–23	वर्ष 2022–23	वर्ष 2022–23
1	10–15	6.65	10.00	20.00	29.30	39.90
2	रू0 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 100 करोड़ तक	1.35	2.00	4.00	6.00	8.00
3	रू0 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 200 करोड़ तक	1.00	1.55	3.00	4.55	6.00
4	रू0 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.65	1.00	2.00	3.00	4.00

''उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्‌ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017'' के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर **यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2022–23 हेतु आंगणित की गई टोल दरें निम्नवत् हैं:–**

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	
		25% की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू0 5/– की राउण्डिंग सहित)	बिना छूट के (राउण्डिंग के बिना)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	610	812.34
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	965	1283.98
3	बस या ट्रक	1935	2581.76
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	2965	3951.79
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	3795	5060.36

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02/2018/235/77–3–2018–37 एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 द्वारा टोल दरों में प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2022–23 हेतु टोल की आधार दरों के अनुसार लागू टोल दरों की धनराशि (25% की छूट सहित) के प्रस्तुत विवरण का निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रकरण पर उपरोक्तानुसार विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

1. 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2022–23 हेतु आंगणित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
2. 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2022–23 (01.04.2022 से लागू) के लिये आंगणित आधार टोल दरों एवं एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजाज/टोल बूथ के बीच लागू टोल दरों की धनराशि (25% की छूट सहित) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–04:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के टोल प्लाजाओं के संचालन तथा टोल फीस की वसूली हेतु मैनपावर सर्विस प्रोवाइडर के चयन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/ निर्णय : निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर स्थित टोल प्लाजाओं के संचालन तथा टोल फीस की वसूली हेतु पूर्व मे चयनित मेसर्स प्रकाश एस्फाल्टिंग्स एण्ड टोल हाईवेज इण्डिया लि0 द्वारा अनुबन्ध निष्पादित कर दिनांक 01.05.2022 को प्रातः 08:00 बजे से टोल वसूली का कार्य प्रारम्भ किया गया था। परन्तु उक्त एजेन्सी द्वारा अपने आंकलन के अनुसार टोल धनराशि न प्राप्त होने के कारण प्राधिकरण से निष्पादित अनुबन्ध को अनुबन्ध की धारा 36 (5) के प्राविधानों के अन्तर्गत समय पूर्व समाप्ति का अनुरोध किया गया था, जिस पर सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु प्रशासनिक विभाग यथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन से अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 833/77–3–22–93एम/21 दिनांक 29.06.2022 द्वारा मेसर्स प्रकाश एस्फाल्टिंग्स एण्ड टोल हाईवेज इण्डिया लि0 के साथ निष्पादित अनुबन्ध को अनुबन्ध की धारा–36 (5) में दी गई व्यवस्थानुसार समाप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से करने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर स्थित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 06 एम्बुलेन्स व 12 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिको सहित) उपलब्ध कराने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

निदेशक मण्डल को अग्रेतर अवगत कराया गया कि उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा नवीन टोल एजेन्सी के चयन में लगने वाले समय (लगभग 02 माह) के दृष्टिगत तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहने के लिये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजाओं के संचालन तथा टोल फीस की वसूली हेतु मैनपावर सर्विस उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों से ई–टेण्डर पोर्टल यथा https://etender.up.nic.in के माध्यम से दिनांक 02.07.2022 को

आर0एफ0पी0 जारी कर निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसके क्रम में 06 एजेंसियो से निविदायें प्राप्त हुईं थीं। प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्ताव रू0 1,34,69,045.85 प्रतिमाह (समस्त करों सहित एवं जीएसटी अतिरिक्त) प्रस्तुत करने वाली एजेंसी मेसर्स कोरल एसोसिएट्स के चयन हेतु प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 09.07. 2022 में निर्णय लिया गया था। तद्‌नुसार चयनित एजेंसी मेसर्स कोरल एसोसिएट्स को दिनांक 14.07.2022 को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किया गया था एवं उनके द्वारा परफारमेंस गारण्टी प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.07.2022 को अनुबन्ध निष्पादित कर मेसर्स कोरल एसोसिएट्स द्वारा मैनपावर सर्विस के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजाओं के संचालन तथा टोल फीस की वसूली का कार्य दिनांक 24.07.2022 को 00:00:00 बजे से आरम्भ कर दिया गया है।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजाओं के संचालन तथा टोल फीस की वसूली के लिये 6 माह (अग्रेत्तर 6 माह हेतु विस्तारणीय) की अवधि हेतु मैनपावर उपलब्ध कराने के लिये न्यूनतम वित्तीय निविदा रू0 1,34,69,045.85 प्रतिमाह (समस्त करों सहित एवं जीएसटी अतिरिक्त) प्रस्तुत करने वाली एजेंसी मेसर्स कोरल एसोसिएट्स के चयन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **यूपीडा प्रोक्योरमेन्ट सेल में तैनात अधिकारी के अतिरिक्त कार्य हेतु विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।**

उप मुख्य कार्यपलक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूपीडा में संविदा पर तैनात अधिकारी नियत वेतन एवं नियम अवधि पर अनुबंधित है। समय–समय पर उनके कार्यो की समीक्षा कर उनका अनुबंधित वेतन एवं अनुवेध अवधि विस्तारित की जाती है। यूपीडा के प्रारम्भिक चरण में केवल एक एक्सप्रेसवे आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का कार्य संचालित थी, किन्तु वर्तमान में 05 एक्सप्रेसवे एवं एक डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना भी संचालित है एवं अनुमानित 95000 करोड़ की परियोजना गतिमान है। प्रोक्योरमेंट सेल में मात्र तीन अधिकारी की तैनाती के फलस्वरूप इन्हें प्रायः अवकाश के दिनों में कार्यालय आना होता है एवं देर रात तक रूकना भी पड़ता है। चूकि सभी अधिकारी संविदा एवं नियत वेतन पर तैनात है एवं इनके पैतृक विभाग में पेशन न होने के कारण अंतिम आहरित वेतन के आधार पर एकमुश्त निश्चित संविदा वेतन निर्धारित की गई है। अतः इन तीनों अधिकारी ने वेतन वृद्धि/अतिरिक्त वेतन दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जो निम्नवत् है –

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान पद पर तैनाती की तिथि	वर्तमान संविदा वेतन	प्रस्तावित संविदा वेतन
1	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव,	वरिष्ठ सलाहकार	24.01.2018	रू0 1,01,952	रू0 1,40,000
2	श्री बी0एस0 दूबे,	सलाहकार	28.08.2017	रू0 1,00,000	रू0 1,25,000
3	श्री किशोर कुमार पाण्डे,	सलाहकार	12.04.2018	रू0 92,000	रू0 1,25,000

कार्यवाही/ निर्णय : निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया तथा कार्यहित में प्रस्तुत प्रस्ताव को सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में संरेखण के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा की कतिपय भूमियों पर अवस्थित निर्माणों के सापेक्ष उसकी मूल्यांकन धनराशि का भुगतान कर भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत अवस्थित ग्राम सभा की कतिपय भूमि पर अवस्थित निर्माणों के सापेक्ष उसकी मूल्यांकन धनराशि का भुगतान कर भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना में ग्राम सभा की भूमि पर पूर्व से जो निमार्ण कार्य है, उनकों हटाये जाने पर विधिक विवाद में लगने वाले समय से परियोजना की प्रगति प्रभावित होगी एवं एक भी दिन का विलम्ब होने से परियोजना के विभिन्न लागतों में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत बढ सकती है, अतः ग्राम सभा की जमीन पर हुये अवैध निर्माण को हटाने के लिये पूर्व में आगरा–लखनऊ एकसप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्णय के समय इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कम में प्रकरण राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया था, राजस्व विभाग के पत्र संख्या–103/एक–13–2019–रा–13 यह निर्देश दिये गये है कि यूपीडा स्वयं अपने स्तर से निर्णय लेते हुये प्रकरण का निस्तारण करें। अतः ऐसे निर्माण के सापेक्ष्य उसकी मूल्यांकित धनराशि का भुगतान कर अवरोध मुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

तथ्यों को संज्ञान लेते हुये अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की भॉति गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में संरेखण के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा की कतिपय भूमियों पर अवस्थित निर्माणों के सापेक्ष उसकी मूल्यांकन धनराशि का भुगतान कर भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार अधिकृत किया गया एवं प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **"गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" के संरेखण के अन्तर्गत आने वाली जनपद–अमरोहा की तहसील–हसनपुर स्थित भूमि के क्रय हेतु जनपद स्तरीय भूमि क्रय की दर व कुल मूल्य निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रय की दर व निर्धारित कुल मूल्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" के संरेखण के अन्तर्गत आने वाली जनपद–अमरोहा की तहसील–हसनपुर स्थित भूमि के क्रय हेतु जनपद स्तरीय भूमि क्रय की दर व कुल मूल्य निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रय की दर व निर्धारित कुल मूल्य के अनुमोदन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदनः–**

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री सर्वेश कुमार कटियार	प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2022	03 माह	19.08.2022	सं0–1756 / यूपीडा / 1540 / 19 / अधि0 दिनांक 06.06.2022
2.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.06.2022	02 माह	18.08.2022	सं0–1757 / यूपीडा / 1082 / 18 / अधि0 दिनांक 06.06.2022
3.	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.06.2022	02 माह	18.08.2022	सं0–1755 / यूपीडा / 1088 / 18 / अधि0 दिनांक 06.06.2022
4.	श्री राधा मोहन द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	04.06.2022	06 माह	04.12.2022	सं0–1753 / यूपीडा / 2273 / 21 / अधि0 दिनांक 06.06.2022
5.	श्री चन्द्र कुमार संगवानी	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	23.06.2022	06 माह	23.12.2022	सं0–1752 / यूपीडा / 1582 / 19 / अधि0 दिनांक 06.06.2022
6.	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.06.2022	01 माह	15.07.2022	सं0–1771 / यूपीडा / 431 / 15 / अधि0 दिनांक 07.06.2022
7.	श्री सियाराम मौर्य	वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी	30.06.2022	06 माह	31.12.2022	सं0–1837 / यूपीडा / 1961 / 20 / अधि0 दिनांक 09.06.2022
8.	श्रीमती कुसुम लता	वैयक्तिक सहायक	28.06.2022	एक वर्ष	28.06.2023	सं0–2050 / यूपीडा / 824 / 17 / अधि0 दिनांक 17.06.2022
9.	श्री एन0एन0श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक (सिविल)	06.06.2022	06 माह	06.12.2022	सं0–2098 / यूपीडा / टी0सी0 / 22 / अधि0 दिनांक 17.06.2022
10.	श्री कमल कुमार	सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ)	01.06.2022	06 माह	01.12.2022	सं0–2124 / यूपीडा / 1893 / 20 / अधि0 दिनांक 18.06.2022
11.	श्री अरूण कुमार कपूर	सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ)	01.06.2022	06 माह	01.12.2022	सं0–2153 / यूपीडा / 1892 / 20 / अधि0 दिनांक 20.06.2022
12.	श्री प्रभात कुमार अवस्थी	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	30.06.2022	06 माह	31.12.2022	सं0–2158 / यूपीडा / 1333 / 19 / अधि0 दिनांक 20.06.2022
13.	श्री रमेश चन्द्र बैशवार	राजस्व निरीक्षक	30.06.2022	06 माह	31.12.2022	सं0–2154 / यूपीडा / 318 / 14 / अधि0 दिनांक 20.06.2022
14.	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	18.06.2022	02 माह	18.08.2022	सं0–2143 / यूपीडा / 1081 / 18 / अधि0 दिनांक 20.06.2022
15.	श्री कालीचरन	डाक रनर	30.06.2022	06 माह	31.12.2022	सं0–2148 / यूपीडा / 406 / 15 / अधि0 दिनांक 20.06.2022
16.	श्रीमती कंचन तिवारी	लेखाकार / आडिटर	12.07.2022	06 माह	12.01.2023	सं0–2250 / यूपीडा / 503 / 15 / अधि0 दिनांक 23.06.2022
17.	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	30.06.2022	एक वर्ष	30.06.2023	सं0–2256 / यूपीडा / 247 / 14 / अधि0 दिनांक 23.06.2022
18.	श्री अजय कुमार गुप्ता	वरिष्ठ लेखाकार	31.07.2022	एक वर्ष	31.07.2023	सं0–2253 / यूपीडा / 504 / 15 / अधि0 दिनांक 23.06.2022
19.	श्री रवीन्द्र शर्मा	ड्राफ्टमैन	07.07.2022	06 माह	07.01.2023	सं0–2255 / यूपीडा / 2099 / 21 / अधि0 दिनांक 23.06.2022
20.	श्री राममूर्ति	निजी सचिव	02.06.2022	06 माह	02.12.2022	सं0–2301 / यूपीडा / 1109 / 18 / अधि0 दिनांक 24.06.2022
21.	श्री शिव प्रसाद निगम	राजस्व निरीक्षक	28.06.2022	03 माह	28.09.2022	सं0–2392 / यूपीडा / 304 / 14 / अधि0 दिनांक 28.06.2022
22.	श्री टी0पी0जोशी	निजी सचिव	07.07.2022	06 माह	07.01.2023	सं0–2350 / यूपीडा / 1773 / 20 / अधि0 दिनांक 27.06.2022
23.	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	25.06.2022	एक वर्ष	25.06.2023	सं0–2351 / यूपीडा / 747 / 17 / अधि0 दिनांक 27.06.2022
24.	श्री अतुल कुमार अस्थाना	वरिष्ठ प्रबन्धक (वन)	03.07.2022	06 माह	03.01.2023	सं0–2656 / यूपीडा / 1676 / 20 / अधि0 दिनांक 05.07.2022
25.	श्री शरद तिवारी	(विधि) सलाहकार	09.07.2022	06 माह	09.01.2023	सं0–2825 / यूपीडा / 833 / 18 / अधि0 दिनांक 08.07.2022
26.	श्री ब्रम्ह्य नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2022	06 माह	25.01.2023	सं0–2941 / यूपीडा / 1408 / 19 / अधि0 दिनांक 13.07.2022

27.	श्री राम चन्द्र राना	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.06.2022	06 माह	12.12.2022	सं0–2942 / यूपीडा / 1225 / 19 / अधि0 दिनांक 13.07.2022
28.	श्री हरि शंकर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2022	03 माह	31.10.2022	सं0–3118 / यूपीडा / 1638 / 20 / अधि0 दिनांक 20.07.2022
29.	श्री राज कुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2022	03 माह	25.10.2022	सं0–3116 / यूपीडा / 1406 / 19 / अधि0 दिनांक 20.07.2022
30.	श्री रामसूरत यादव	फारेस्टर	28.06.2022	06 माह	28.12.2022	सं0–3117 / यूपीडा / 2292 / 21 / अधि0 दिनांक 20.07.2022

2. **यूपीडा में कार्यरत अधिकारी का नाम जिनकी सेवा समाप्त की गयी है, जिसका अनुमोदन 76 वीं बोर्ड मण्डल की बैठक दिनांक 26.07.2022 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् हैः–**

यूपीडा में तैनात (संविदा) निम्नलिखित अधिकारियों की संविदा सेवायें यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर उक्त तिथि से सेवा का विस्तार नहीं किया गया है।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	विस्तार तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
1.	श्री रवीन्द्र गोडबोले	वरिष्ठ सलाहकार / नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे)	09.04.2022	30.06.2022
2.	कर्नल के0एस0त्यागी	वरिष्ठ परामर्शी (डिफेन्स कॉरिडोर)	30.12.2021	30.06.2022

3. **संविदा पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती का अनुमोदन :–**

यूपीडा में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन हेतु तथा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के नवसृजित पी0आई0यू0 पर निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संविदा पर तैनाती की गई है। तैनात किये गये नये कर्मियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल से निवेदित है।

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन
1.	श्री राधे श्याम सिंह	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	दिनांक 06.05.2022, प्रतीक्षा सूची से
2.	श्री मोहम्मद अफताब	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	दिनांक 06.05.2022, प्रतीक्षा सूची से
3.	श्री परमात्मा सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	दिनांक 15.05.2022, प्रतीक्षा सूची से
4.	श्री अनिल कुमार	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	दिनांक 15.05.2022, प्रतीक्षा सूची से
5.	श्री शमरेश कुमार सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	दिनांक 15.05.2022, प्रतीक्षा सूची से
6.	श्री चकलेदार सिंह	वरिष्ठ प्रबन्धक	06 माह	दिनांक 17.06.2022
7.	श्री राजीव सिन्हा	प्रबन्धक	06 माह	दिनांक 17.06.2022
8.	श्री सपन कुमार चन्द्रा	प्रबन्धक	06 माह	दिनांक 17.06.2022
9.	श्री पातीराम	वरिष्ठ प्रबन्धक	06 माह	दिनांक 01.07.2022

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु–08 के उप बिन्दु–01 02 व 03 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–09:–</u> <u>उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का कियान्वयनः परियोजना के ग्रुप–I के कन्सेशनेयर के शेयर–होल्डिंग के स्वरूप में परिवर्तन के लिए यूपीडा की सहमति हेतु प्रस्ताव।</u>

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> निदेशक मण्डल द्वारा बैठक के एजेंडा बिन्दु संख्या 9 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया और इस संबंध में निम्नवत संकल्प पारित किया गया:-

"संकल्प:-

(अ)"गंगा एक्सप्रेसवे के ग्रुप – 1 के निर्माण के लिए यूपीडा एवं कन्सेशनेयर एस.पी.वी. (मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड) के मध्य संपादित कन्सेशन एग्रीमेंट के आर्टिकल 48 में निहित 'चेंज इन ओनरशिप' की परिभाषा के अनुरूप आर्टिकल – 5 के प्रस्तर 5.3.1 एवं आर्टिकल – 5 के प्रस्तर 5.3.1 के अनुसार कन्सेशनेयर एस.पी.वी. (मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड) के 'स्वामित्व में परिवर्तन' के संबंध में यूपीडा द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक हित' के दृष्टिकोण से प्रदान किए जाने वाले पूर्व-अनुमोदन को निम्न शर्तों के आधीन जारी किया जाए:-

i. कन्सेशनेयर एस.पी.वी. (मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड) द्वारा 'द कंपनीज़ एक्ट, 2013' एवं उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों के साथ साथ अन्य सभी वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

ii. आई. आर. बी. इनविट द्वारा कन्सेशनेयर एस.पी.वी. (मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड) में शेयर-होल्डिंग ग्रहण करने एवं एस.पी.वी. को अन्य किसी प्रकार से इक्विटी प्रतिदान उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन आई. आर. बी. इनविट एवं उसके प्रायोजकों (आई. आर. बी. एवं उसके 'एसोशिएट्स' तथा जी.आई.सी. की 'एफिलिएट्स') द्वारा ही किया जाएगा तथा उनके द्वारा इनविट के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेज़ बोर्ड ऑफ इंडिया) (सेबी) द्वारा 26 सितंबर 2014 को जारी इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट रेग्युलेशन्स, 2014 एवं समय समय पर उसमें किए गए संशोधनों में निहित तथा अन्य सभी वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

iii. प्रस्तावित निवेश में विदेश (सिंगापुर) में अवस्थित एवं निगमित कंपनियों द्वारा होने वाली वित्तीय भागीदारी के संबंध में, विदेशी निवेश से संबन्धित भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के समय समय पर जारी निर्देशों एवं गाइडलाइंस का अनुपालन विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कन्सेशनेयर एस.पी.वी. (मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड) एवं आई. आर. बी. इनविट द्वारा ही यथानुसार किया जाएगा।

iv. प्रस्तावित निवेश से उत्पन्न होने वाले 'स्वामित्व में परिवर्तन' की प्रक्रिया में मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड द्वारा सीनियर लेंडर (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) से प्राप्त किए जाने वाले ऋण संबंधी 'कॉमन लोन एग्रीमेंट' एवं अन्य फाइनेंस एग्रीमेंट्स में निहित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

v. प्रस्तावित इक्विटी निवेश की प्रक्रिया में यूपीडा व कन्सेशनेयर के मध्य संपादित कन्सेशन एग्रीमेंट में इंगित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन कन्सेशनेयर एस.पी.वी. (मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड), सफल निविदाकर्ता आई. आर.बी. इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि. एवं अन्य सभी निवेशकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

vi. प्रस्तावित निवेश की समस्त प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में, कन्सेशन एग्रीमेंट में इंगित ग्रांट राशि के अतिरिक्त यूपीडा की कोई और वित्तीय देनदारी नहीं होगी और प्रश्नगत परियोजना में यूपीडा के हित किसी भी नकारात्मक प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे।

(आ) "उपरोक्त हेतु उत्तर प्रदेश शासन का अनुमोदन प्राप्त करने एवं तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सम्पन्न करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।"

<u>एजेण्डा बिन्दु–10:–</u>	**<u>पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज संख्या–05 एवं 07 को बोनस भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना।</u>**
<u>कार्यवाही / निर्णय</u>	निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज संख्या–05 एवं 07 को बोनस भुगतान किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।

मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी 06 पैकेजो में ई0पी0सी0 ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि (Appointed Date) दिनांकः 15.01.2020 दी गई थी। तद्क्रम में उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किये गये और वर्तमान में दिनांकः 21.07.2022 तक सभी पैकेजों की भौतिक व वित्तीय प्रगति निम्नवत् है–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	ठेकेदारों के नाम	दिनांक 21.07.2022 तक भौतिक प्रगति(%)	दिनांक 21.07.2022 तक वित्तीय प्रगति(%)
1	I	एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	98.80%	91.11%
2	II	एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	97.14%	89.17%
3	III	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड	99.89%	96.50%
4	IV	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	99.93%	99.26%
5	V	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	99.48%	93.43%
6	VI	दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड	94.67%	89.85%
		कुल प्रतिशत	**98.32%**	**93.21%**

परियोजना के सभी 06 पैकेजो में माइलस्टोन–01 प्राप्त होने की निर्धारित तिथि दिनांक 22.08.2020 थी जिसे सभी पैकेजों में समय से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है और माइलस्टोन–02 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 18.07.2021 है जो सभी पैकेजों में पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। माइलस्टोन–03 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 18.02.2022 है जिसे सभी पैकेज–IV, V व III ने क्रमशः दिनांक 31.05.2021,31.07.2021 व 30.11.2021 को तथा पैकेज–I, II व VI ने दिनांक 31.01.2022 को प्राप्त कर लिया है। पैकेज–III व IV का Provisional Completion Certificate दिनांक 01 जुलाई, 2022 को जारी कर दिया गया है एवं दिनांक 16 जुलाई, 2022 को मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है।

COS कार्यों को सम्मिलित करते हुये कुल प्रस्तावित 102.67 प्रतिशत भौतिक प्रगति के विरूद्ध 99.46 प्रतिशत भौतिक प्राप्त की जा चुकी है।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–12:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है। उक्त चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस के क्रम में ई0पी0सी0 ठेकेदारों द्वारा विस्तृत गणना के आधार पर आगणन प्रेषित किये जाने है जिनके परीक्षण व स्वीकृति के पश्चात् निदेशक मण्डल को पुनः अवगत कराया जायेगा साथ ही COS के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का

overall प्रतिशत 2.67 है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट के क्लॉज 13.4.2 के अन्तर्गत प्राविधानित COS की सीमा 10 प्रतिशत से कम है।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:–

उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत तकनीकी मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत पूर्व में गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति के एक सदस्य कर्नल कुलदीप सिंह त्यागी (से0नि0), वरिष्ठ परामर्शी, डिफेंस कॉरिडोर की कार्यावधि दिनांक 30 जून, 2022 को समाप्त होने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 17.07.2022 को अनुमोदनोपरान्त तकनीकी मूल्यांकन समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत् है:–

(क) श्री राकेश मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, डिफेंस कॉरिडोर, यूपीडा।

(ख) कर्नल संजय सिंह (से0नि0), मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी), डी0आई0सी0, यूपीडा।

(ग) श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।

(घ) श्री के0के0 पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।

(च) डॉ0 के0के0 अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक, (वास्तुविद नियोजक)।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:–

उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत कार्यरत के0पी0एम0जी0 टीम का कार्यकाल बढाये जाने एवं दो कन्सलटेन्ट्स के पदों पर नये नियोजन पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश डिफेंस इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा के अन्तर्गत कार्यालय के कार्यों के हित में दिनांक 07.07.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमोदन के कम में निम्नलिखित प्रकरणों में आदेश निर्गत किये गये हैं:–

(क) के0पी0एम0जी0 की सुश्री सुनीति भंडारी एवं श्री सिद्धार्थ पाठक का कार्यकाल दिनांक 30 जून 2022 को समाप्त हो गया था। डिफेंस कॉरिडोर उक्त दोनो पदों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए (दिनाक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) बढ़ाया जाना।

(ख) के0पी0एम0जी0 के Infrastructure Consultant के स्थान पर Government Advisory Consultant - Investment Promotion. Investor Management (Senior Level Consultant) तथा Documentation Consultant के स्थान पर Government Advisory Consultant- Project Management, Business Development and Government Relations (Senior Level Consultant) उक्त दोनों पदो को उच्चीकृत किया जाना।

(ग) Branding, Marketing and communication consultant (Mid- Level consultant) के नये पद पर नियोजन।

(घ) Documentation consultant (Junior level consultant, existing position) के नये पद पर नियोजन।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित को निर्देश दिये गये की परामर्शी संस्था के दो नव नियुक्त सदस्य प्रत्येक स्थिति में 01 अगस्त, 2022 तक अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 22.07.2022 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।**

यूपीडा के विधि सलाहकार द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कुल वादों की संख्या–378 में से निस्तारित वादों की संख्या–246 तथा लम्बित वादों की संख्या–132 है एवं 04 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित वादों की संख्या–271 में से निस्तारित वादों की संख्या 188 तथा लम्बित वादों की संख्या 83 है एवं 02 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में गैर ऐंकर इकाईयों से 25 प्रतिशत की छूट के अंतर की धनराशि जमा करने के उपरान्त संशोधित लीज डीड के सम्बन्ध में रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर ADDENDUM SUPPLIMENTARY DEED निष्पादित कराने विषयक।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–17:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में ऐसी दो औद्योगिक इकाईयों, जिनके पक्ष में आवंटित भूमि के सापेक्ष लीज डीड निष्पादित की जा चुकी है परन्तु आपसी सहमति से आवंटित भूखण्डों का परस्पर विनिमय करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में पुनः लीज डीड के निष्पादन पर व्यय होने वाले स्टाम्प शुल्क का वहन इच्छुक औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जाना एवं नवीन भू-खण्ड आवंटित होने पर उसके सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि को पूर्व में आवंटित भू-खण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि से समयोजित किये जाने विषयक।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–18:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के संचालन व अनुरक्षण के लिए नवीन अनुबन्ध गठित करने एवं ठेकेदार व अथॉरिटी इंजीनियर (कन्सलटेन्ट) के चयन हेतु परियोजना परामर्शी की सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।**

मुख्य महाप्रबन्धक (आगरा–लखनऊ) द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि:–

1. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के ई.पी.सी. कॉन्ट्रेक्ट में अनुरक्षण की अवधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष की निर्धारित है। इस 05 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अनुरक्षण की अवधि को बढ़ाने का अनुबन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।
2. वर्तमान में परियोजना की समस्त पैकेजों में अनुरक्षण की अवधि का अंतिम वर्ष गतिमान है, जिसमें अनुबन्ध की शर्त के अनुसार अनुबन्धित लागत मय CoS कार्य की लागत का 02 प्रतिशत राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया जा रहा है।
3. यदि ठेकेदारों की सहमति से अनुरक्षण अवधि को बढ़ाने के लिये Supplementary Agreement गठित किया जाता है तो बढ़ी हुई अवधि में भी अनुरक्षण हेतु भुगतान 02 प्रतिशत या अधिक की दर से ही करना होगा। ऐसी सम्भावना है कि अनुरक्षण के कार्य की निविदा अलग से आमंत्रित करने पर निविदा कम लागत की प्राप्त हो सकती है।

4. यदि किसी पैकेज में अनुरक्षण अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी Defect रह जाते हैं तो Defect ठीक होने तक केवल Defect के लिये अनुरक्षण अवधि स्वतः बढ़ जाती है।

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–19:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं नवनिर्मित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के टॉल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के एकीकरण (integration) का कार्य मे0 वानइन्फ्रा प्रा0 लि0 से कराये जाने के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा नवनिर्मित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल, जनपद इटावा पर समाप्त होता है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवेसे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर यातायात के आने अथवा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यातायात के जाने की स्थिति में वाहन के टॉल फीस सम्बन्धी सूचना दोनों एक्सप्रेसवे पर स्थित टॉल प्लाजा पर उपलब्ध कराये जाने हेतु दोनों एक्सप्रेसवे के टॉल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) को एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः दोनों एक्सप्रेसवेज के मध्य सुचारू यातायात संचालन हेतु टॉल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS)को शीध्र कराये जाना है। इस कार्य को कराये जाने की लागत रू 14,04,150/– (बिना जी0एस0टी0) आंकलित की गयी है। मे0 वानइन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ए.टी.एम.एस. का संचालन कराया जा रहा है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं नवनिर्मित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के टॉल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के एकीकरण (integration) के कार्य को नवीन निविदा आमंत्रित करके कराने में विलम्ब की संभावना है।

उक्त के दृष्टिगत् आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं नवनिर्मित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के टॉल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के एकीकरण (integration) के कार्य को मे0 वानइन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा कराया जाना निर्णीत किया गया है, जिसके लिये उनको कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त रू0 14,04,150/– (बिना जी0एस0टी0) दिया जाना प्रस्तावित है।

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं नवनिर्मित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के टॉल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के एकीकरण (integration) के कार्य को मे0 वानइन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा कराया जाना निर्णीत किया गया है, जिसके लिये उनको कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त रू0 14,04,150/– (बिना जी0एस0टी0) दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–20:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–2 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–21:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–4 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–22:–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के Arbitration Case पैकेज–05 की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के Arbitration Case_ की अद्यतन स्थिति का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्देश दिया गया कि यूपीडा द्वारा एल0एन0टी0 के विरूद्ध शीघ्र ही वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया जायें। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (Arbitration) टीम लीडर के माध्यम से निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा अधुरे छोडे गये कार्यो का मूल्यांकन कर ले, एवं उक्त के आधार पर काउन्टर क्लेम दावा 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगे। काउन्टर क्लेम में वृक्षारोपण के अपूर्ण कार्यो का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

एजेण्डा बिन्दु–23:–

निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर कतिपय अपरिहार्य प्री कान्सट्रक्शन अभियांत्रिकी औपचारिकताओं के निरीक्षण / परीक्षण / अनुमोदन हेतु तात्कालिक एवं पूर्णतया अस्थाई रूप से मेसर्स राईट्स (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। यह एक्सप्रेसवे जनपद मेरठ (एन.एच.–334) से प्रारम्भ होकर जनपद हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ होते हुए जनपद प्रयागराज, (एन.एच.–19) में समाप्त होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को डी.बी.एफ.ओ.टी. (टॉल) पद्धति पर निर्माण कराये जाने के लिये 04 ग्रुप में विभाजित किया गया है, जिनके अनुबन्ध 06.01.2022 को गठित किये जा चुके है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है। एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु इण्डिपेन्डेट इंजीनियर की नियुक्ति हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी। निविदा में उद्धृत अर्हता मानकों को पूर्ण न किये जाने के आलोक्य में कोई भी निविदा अर्ह नहीं पाई गयी। अतः अर्हता मानकों में कुछ शिथिलीकरण करते हुये इण्डिपेन्डेट इंजीनियर के चयन हेतु पुनः अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। दिनांक 15/07/2022 को निविदाओं का तकनीकी बिड "निविदा समिति" के समक्ष खोली गयी हैं जिनका तकनीकी मूल्याकंन किया जा रहा है। अगस्त प्रथम सप्ताह में वित्तीय बिड खोला जाना संम्भावित है। वर्तमान में विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण से पूर्व की कार्यवाही (तकनीकी परीक्षण, मिक्स डिजाइन अनुमोदन, प्लान एवं प्रोफाइल का अनुमोदन तथा संरचनाओं के डिजाइन इत्यादि) प्रारम्भ कर दिया गया है एवं इसका पर्यवेक्षण / अनुमोदन अथॉरिटी द्वारा अपेक्षित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में निर्माण से पूर्व उपरोक्तानुसार वर्णित गतिविधियों के अनुमोदन हेतु भारत सरकार के उपक्रम मे0 राईट्स की सेवायें नियमित इन्डिपेन्डेन्ट इन्जीनियर की नियुक्ति होने तक, लिये जाने का प्रस्ताव, बोर्ड की 75वीं बैठक दिनांक 08/06/2022 में अनुमोदित है। मे0 राईट्स से प्राप्त कोटेशन के आधार पर यूपीडा को अपनी सेवायें दिये जाने हेतु दिनांक 11/07/2022 को LOI निर्गत किया जा चुका है। मे0 राईट्स को जो भी भुगतान देय होगा वह अनुबंध के "Clause 23.3 Remuneration" के अन्तर्गत किया जाना है जिसमें निम्न व्यवस्था दी गई है।

"The remuneration, cost and expenses of the Independent Engineer shall be paid by the Authority and subject to the limits set forth in Schedule-P, one-half of such remuneration, cost and expenses shall be reimbursed by the Concessionaire to the Authority within 15 (fifteen) days of receiving a statement of expenditure from the Authority."

उपरोक्तानुसार ब्यय भार हेतु सभी विकासकर्ताओं से सहमति प्राप्त कर ली गई है।

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर कतिपय अपरिहार्य प्री कान्सट्रक्शन अभियांत्रिकी औपचारिकताओं के निरीक्षण/परीक्षण/अनुमोदन हेतु तात्कालिक एवं पूर्णतया अस्थाई रूप से मेसर्स राईट्स (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवायें लिये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01 — **यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निर्देशक मण्डल की बैठक दिनांक 26.07.2022 हेतु गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02 — **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज संख्या–07 के निर्माणकर्ता M/s G. R. Infraprojects Limited को पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03 — **यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निर्देशक मण्डल की बैठक दिनांक 26.07.2022 हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04 — **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज 3 एवं 4 के Provisional Certificate of Completion के निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–05 **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।**

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत दिए गये अनुमोदन के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	कार्य का नाम
1.	Negative Change of Scope (CoS) under Article-13 of CA for change in thickness of Transverse Bar Marking from 15mm to 10mm in Pkg- I, II, III, IV, V & VI of Bundelkhand Expressway. UPEIDA letter no.- 3206/UPEIDA/22/1720/Tech dated: 21/07/2022 for Pkg- I UPEIDA letter no.- 3204/UPEIDA/22/1721/Tech dated: 21/07/2022 for Pkg- II UPEIDA letter no.- 3201/UPEIDA/1722 Vol-I/Tech dated: 21/07/2022 for Pkg- III UPEIDA letter no.- 3202/UPEIDA/1723 Vol-II/Tech dated: 21/07/2022 for Pkg- IV UPEIDA letter no.- 3205/UPEIDA/1724/Tech dated: 21/07/2022 for Pkg- V UPEIDA letter no.- 3210/UPEIDA/1725/Tech dated: 21/07/2022 for Pkg- VI

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–06 **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विभिन्न स्थलों पर लिये गये विद्युत कनेक्शनों के विरूद्ध विद्युत विभाग द्वारा निर्गत विद्युत शुल्क (Electricity Bills) के समयबद्ध भुगतान हेतु पी0आई0यू0 के अधिशासी अभियन्ताओं को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विभिन्न स्थलों पर लिये गये विद्युत कनेक्शनों के विरूद्ध विद्युत विभाग द्वारा निर्गत विद्युत शुल्क (Electricity Bills) के समयबद्ध भुगतान हेतु पी0आई0यू0 के अधिशासी अभियन्ताओं को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–07 **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति।**

वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि:–

- माह जुलाई (25.07.2022) तक लगभग 94% भूमि क्रय की जा चुकी है। शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति में है।
- परियोजना में कुल 07 नं0 ROB प्रस्तावित है। सभी ROB के GAD का अनुमोदन रेलवे विभाग से प्राप्त है।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फारेस्ट क्लीयरेन्स Level-I एवं इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स प्राप्त हो चुका है।
- इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर की नियुक्ति हेतु पुनः अल्पकालिक निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिनकी तकनीकी बिड "परामर्शी मूल्यांकन समिति" के समक्ष दिनांक 15.07.2022 को खोली जा चुकी हैं। माह अगस्त प्रथम सप्ताह में वित्तीय बिड खोला जाना सम्भावित है।
- साइट क्लीयरिंग एवं ग्रबिंग का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 56% कार्य पूर्ण है। माह सितम्बर तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।
- Joint Survey का कार्य (कान्सेसनायर, इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर एवं यूपीडा के पी0आई0यू0) पूर्ण कर लिया गया है। Joint memorandum तैयार किया जा रहा है। माह अगस्त प्रथम/द्वितीय सप्ताह तक कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भावित है।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति दिनांक 26.07.2022 तक निम्नवत् है:–

Ganga Expressway Project

(Daily Progress Report of C&G and Earthwork)

As on date- 26.07.2022

Name of Concession-aire	Group No.	Clearing and Grubbing					Earthwork in MCW					Approved Borrow Area Qty (Cum)	Remark
		Scope (Km)	Daily Target (Km)	Work Done Today[1] (Km)	Work Done Cumulative (Km)	%age Progress	Scope (Cum)	Daily Target (Cum)	Work Done Today (Cum)	Cumulative Work done (Cum)	%age Progress		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IRB	Group-I	129.700		0.000	97.800	75.40%							
Adani	Group-II	151.700		0.200	104.060	68.60%				14,960			
Adani	Group-III	155.700		0.380	78.540	50.44%							
Adani	Group-IV	156.847		2.200	50.178	31.99%							
	TOTAL	593.947	0.000	2.780	330.578	55.66%			0.000	14,960			

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–08 — **पूर्वांचल एक्सप्रेस प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर–2 के की प्रोफेशनल (Key Professional) एवं टीम लीडर को प्रदान की गई समयवृद्धि का अनुमोदन–**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–09 — **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेष नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये अबतक हुई कुल वृद्धि से अवगत कराने की अपेक्षा की गई। मा0 निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि चेंज ऑफ स्कोप के कारण अबतक कुल 1.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें 116.24 करोड़ निगेटिव चेंज ऑफ स्कोप भी सम्मिलित है। किसी भी पैकेज में वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–10 — **Change in rate of tax from 12% to 18 % in case of work contract service supplied to Local Authority.**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा Change in rate of tax from 12% to 18 % in case of work contract service supplied to Local Authority के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–11 — **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।**

सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित / क्रियान्वित / पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति / आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग / व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् हैः–

विभाग का नाम–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ

Up to 25.07.2022

(धनराशि लाख में)

	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23					
		प्राविधानित धनराशि		शासन स्तर से जारी स्वीकृति		स्वीकृति के सापेक्ष व्यय	
1	2	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	52,254.00		20,000.00		10,000.00	
2	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	77,525.00		77,525.00		60,000.00	
4	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		50,256.00		20,423.00		9,221.92

5	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	97,661.00		97,661.00		60,000.00	
6	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		59,361.00		30,972.00		14,280.77
7	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		94,168.00		47,084.00		23,542.00
8	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	51,193.00		30,000.00		30,000.00	
10	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		13,183.00		3,989.62		1,137.49
11	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	40,000.00		5,795.12		4,826.59	
12	**गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना**						
	5054–03–337–09–24	44,534.00		20,000.00		10,000.00	
13	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		23,200.00		4,839.45		4,839.45
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		11,154.00				
15	एक्सप्रेसवे परियोजनाओ के समीप पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु है।	50,000.00					
14	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग .वी०जी०एफ० धनराशि	25,000.00					
	महायोग	**4,38,167.00**	**2,51,322.00**	**2,50,981.12**	**1,07,308.07**	**1,74,826.59**	**53,021.63**
			6,89,489.00		3,58,289.19		2,27,848.22

अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.07.2022 को सम्पन्न हुई 76वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.07.2022 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी